न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 306/2015

वादीगण :-

1. वेदप्रकाश भंवरिया पुत्र तेजसिंह
   जाति-जाट निवासी-सोगावास,
   तहसील-मेडतासिटी, जिला-नागौर(राज.)
2. नेनाराम पुत्र भंवरलाल
   जाति-जाट, निवासी-हरिया ढाणा
   तहसील-बिलाडा, जिला-जोधुपर(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. कानसिंह पुत्र गुमानसिंह
2. विरमसिंह पुत्र गुमानसिंह
3. महेशकंवर पुत्री गुमानसिंह
4. रसालकंवर पत्नी गुमानसिंह
5. बीरुकवंर पुत्री विशनसिंह
6. छोटूकंवर पुत्री विशनसिंह
7. राजूकंवर पत्नी विशनसिंह
8. पूर्णसिंह पुत्र मदनसिंह
   जातियान-राजपूत, नि0-सिणला
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली
9. मांगसिंह पुत्र मदनसिंह
   जाति-राजपूत, निवासी-सिणला
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली
10. तहसीलदार एवं उपंपजीयक
    अधिकारी, जैतारण
    तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाझा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.02.07.2015

उपस्थितः- 1. श्री रुस्तम खान भाटी, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 11/07/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाझा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-सिणला, पटवार सर्कल-डिगरया, तहसील-जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 321, 326, 367, 368, 369, 370, 371, 372 कुल किता-8 कुल रकबा 34-07 किरम बारानी दोयम एवं गै.मु. की आई हुई हैं। उक्त खसरा नम्बरान की जमाबंदी व नक्शा ट्रेस वाद-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा हैं। जिसे वादपत्र का एक भाग माना जावें। उक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमि में से खसरा नम्बर 321 की 03 बीघा 11 बीस्वा कृषि भूमि को दिनांक 13/05/2013 को जरिए रजिस्टर्ड दस्तावेज से मांगूसिंह पुत्र मदनसिंह कौम-राजपूत, निवासी-सिणला से वादीगण ने खरीद की थी, जिसके आधार पर वादीगण का नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ था। वादीगण द्वारा खरीदयुदा भूमि कब्जा भी प्राप्त कर लिया था। तब से लेकर आज दिन तक वादीगण का उनके हिस्से की कृषि भूमि पर बिना किसी रोकटोक के कब्जा चला आ रहा हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि संयुक्त व अविभाजित हैं, जिस पर सभी खातेदार अपने अपने हिस्सेनुसार मौके

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पर काबिज है। लेकिन कानूनी रूप से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा नहीं हो रखा हैं। इसलिए वादीगण अपने हिस्से व कब्जे की भूमि को और अधिक उपजाउ नहीं बना सकते है और न ही उसे उन्नत कर सकते हैं तथा न ही बगैरह बंटवाडा उस पर कोई लोन आदि ले सकते हैं। वादीगण को अनेको प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड रहा हैं। वादीगण ने उक्त जमीन में से अपने हिस्से की जमीन का बंटवाडा करने हेतु डिगरना में आयोजित होने वाले राजस्व कैम्प में बंटवाडा बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने व बंटवाडा बाबत प्रतिवादीगण ने बंटवाडा करने से मौजा-सिणला में स्पष्ट मना कर दिया। प्रतिवादीगण बगैर बंटवाडे अधिक उपजाऊ भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं तथा राजस्व रेकर्ड में अपना नाम होने का फायदा उठाकर अधिक कीमती भूमि का बेचान भी करना चाहते हैं। जबकि वादीगण अपने हक व हिस्से की भूमि का किसी भी रूप मे बेचान करने नही देगें। ऐसी स्थिति में वादी व प्रतिवादीगण के बीच में विभिन्न प्रकार की मुकदमें बाजी होगी। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादी द्वारा खरीद शुदा खसरा नम्बर 321 रकबा 3 बीघा 11 बीस्वा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कराने का अधिकारी हैं। यदि कानूनन बंटवाडा नहीं किया जाता है, तो वादीगा के हक व अधिकारो पर विपरित असर पडेगा। आर्थिक नुक्सान कारित होगा। वादीगण के पास अपने हिस्से की कृषि भूमि का बंटवाडा कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं हैं। वादीगण 03 बीघा 11 बीस्वा के खातेदार काश्तकार हैं। जिसका कब्जा लगातार शांतिपूर्वक तरिके से चला आ रहा हैं। वादीगण के पास कब्जा होने व खातेदार काश्तकार होने से वादीगण के पक्ष में बहुत मजबूत व प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी साबित हैं। तथ्यों, परिस्थितियों एवं दस्तावेज के आधार पर वादीगण का वाद-पत्र प्रथम दृष्टया साबित हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि में से 03 बीघा 11 बीस्वा कृषि भूमि का बंटवाडा कराने का कानूनी हक व अधिकार प्राप्त हैं। वादीगण 03 बीघा 11 बीस्वा कृषि भूमि का अलग से राजस्व रेकर्ड में तरमीम करवाने व अलग से अपने नाम से खाता दर्ज कराने के अधिकारी होने से श्रीमान के समक्ष यह वाद बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जा रहा हैं। वादी का बिनायदावा दिनांक 29/05/2015 को मौजा-सिणला में बटवाड़ा करने से ईन्कार करने व बेचान करने की धमकी देने से मौजा-सिणला, तहसील-जैतारण, जिला-पाली राज0 में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार माफिक दावा वादी ने वाद डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए समनस वास्ते जवाबदावा तलब किया गया।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र - डिगरना में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सरहद मौजा-सिणला, पटवार सर्कल-डिगरना, तहसील-जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 321, 326, 367, 368, 369, 370, 371, 372 कुल किता-8 कुल रकबा 34-07 किस्म बारानी दोयम एवं गै.मु. भूमि स्थित हैं। जिसमें वादीगण तथा प्रतिवादीगण का माफिक राजस्व रिकॉर्ड हिस्सा आता हैं। इसी अनुसार मौके पर काबिज हैं तथा इसी अनुसार बंटवाड़ा कराने पर सहमत हैं। इसी अनुसार मौके पर पत्थरगढ़ी नापचौंप कर करावें। नजरी नक्शा व राजीनामा को निर्णय का एक आवश्यक भाग माना जावें। तहसीलदार, जैतारण ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय रूबरू उभय पक्षों व गौतबिरानों के तैयार करवाकर फर्द मौका मय नजरी नक्शा आज दिनांक 11/07/2015 को ही पेश

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

किया, सामिल मिसल किया गया। उभय पक्षकारानों मय वकुलाय को सुना गया। वस्तुतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाना तथा पक्षकारों में विवादित आराजी की भूमि का बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि रकबद मौजा–सिणला, पटवार सर्कल–डिगरना, तहसील–जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 321, 326, 367, 368, 369, 370, 371, 372 कुल किता–8 कुल रकबा 34–07 किस्म बारानी दोयम एवं गै.मु. का निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	वेदप्रकाश भंवरिया पुत्र तेजसिंह जाति–जाट निवासी–सोगावास, तहसील–मेडतासिटी,जिला–नागौर 1/2 हिस्सा, नेनाराम पुत्र भंवरलाल जाति–जाट, निवासी–हरिया ढाणा तहसील–बिलाडा, जिला–जोधपुर 1/2 हिस्सा।	321	3-11-00	बा0दो0	0.85 रू.
2	कानसिंह विरमसिंह महेशकंवर पि0 गुमानसिंह, रसालकंवर पत्नी गुमानसिंह, नीरूकंवर छोटूकंवर पि0 विशनसिंह, राजूकंवर पत्नी विशनसिंह, पूर्णसिंह पुत्र मदनसिंह 516/616 हिस्सा, मांगसिंह पुत्र मदनसिंह 100/616 हिस्सा कौम–राजपूत सा0 देह खातेदार।	326 367 368 369 370 371 372	6-16-00 7-00-00 4-07-00 1-07-00 5-04-00 1-06-00 4-16-00	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0 गै.मु. बा0दो0	7.40 रू.
योग		7	30-16-00		7.40 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 11/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविरि–डिगरना पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादीगण :-

1. वेदप्रकाश भंवरिया पुत्र तेजसिंह
   जाति-जाट निवासी-सोगावास,
   तहसील-मेडतासिटी, जिला-नागौर(राज.)
2. नेनाराम पुत्र भंवरलाल
   जाति-जाट, निवासी-हरिया ढाणा
   तहसील-बिलाडा, जिला-जोधुपर(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. कानसिंह पुत्र गुमानसिंह
2. विरमसिंह पुत्र गुमानसिंह
3. महेशकंवर पुत्री गुमानसिंह
4. रसालकंवर पत्नी गुमानसिंह
5. नीरुकवंर पुत्री विशनसिंह
6. छोटूकंवर पुत्री विशनसिंह
7. राजूकंवर पत्नी विशनसिंह
8. पूर्णसिंह पुत्र मदनसिंह
   जातियान-राजपूत, नि0-सिणला
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली
9. मांगसिंह पुत्र मदनसिंह
   जाति-राजपूत, निवासी-सिणला
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली
10. तहसीलदार एवं उपंपजीयक
    अधिकारी, जैतारण
    तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बावत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:306/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री रुस्तम खान भाटी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-सिणला, पटवार सर्कल-डिगरना, तहसील-जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 321, 326, 367, 368, 369, 370, 371, 372 कुल किता-8 कुल रकबा 34-07 किस्म बारानी दोयम एवं गै.मु. का निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	वेदप्रकाश भंवरिया पुत्र तेजसिंह जाति-जाट निवासी-सोगावास, तहसील-मेडतासिटी,जिला-नागौर 1/2 हिस्सा, नेनाराम पुत्र भंवरलाल जाति-जाट, निवासी-हरिया ढाणा तहसील-बिलाडा, जिला-जोधुपर 1/2 हिस्सा।	321	3-11-00	बा0दो0	0.85 रु.
2	कानसिंह विरमसिंह महेशकंवर पि0 गुमानसिंह, रसालकंवर	326 367	6-16-00 7-00-00	बा0दो0 बा0दो0	7.40 रु.

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

	पत्नी गुमानसिंह, बीरूकंवर छोटूकंवर पि0 विशनसिंह, राजूकंवर पत्नी विशनसिंह, पूर्णसिंह पुत्र मदनसिंह 516/616 हिस्सा, मांगसिंह पुत्र मदनसिंह 100/616 हिस्सा कौम-राजपूत सा0 देह खातेदार।	368 369 370 371 372	4-07-00 1-07-00 5-04-00 1-06-00 4-16-00	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0 गै.मु. बा0दो0	
	योग	7	30-16-00		7.40 रु.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 11/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-डिगरना पर जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)
(जिला-पाली)

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01	-00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	-00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	-	-	महनताना वकील		
महनताना वकील	-	-	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	04	-00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	-	-	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	06	00	मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner